प्रेषक,

सीताराम
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय (महिला संरक्षण)
पीलीभीत।

सेवा में,

महानिबंधक
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा, श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, पीलीभीत।

विषय– **वार्षिक स्थानांतरण जनपद मेरठ के आस पास किसी जनपद मे किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के सी.एल.नं. 23/एडमिन (सर्विसेज)/2019 दिनॉक 23.09.19 के अनुपालन मे सविनय निवेदन है कि जनपद पीलीभीत मे मेरा तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर मेरे द्वारा स्थानांतरण के संबंध मे आवेदन किया जा रहा है। मेरी पत्नी श्रीमती अलका भारती भी जनपद पीलीभीत मे ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय के पद पर कार्यरत् हैं। मेरी पत्नी अलका भारती द्वारा भी वार्षिक स्थानांतरण हेतु उन्ही विकल्पो (जिलो) को भरा गया है जो मेरे द्वारा निर्धारित प्रारूप पर भरे गये हैं।

माननीय महोदय, मैं जनपद मेरठ का निवासी हूं। मेरे माता–पिता वृद्धावस्था मे है जिनकी आयु लगभग 83 – 87 वर्ष है जो कि बीमार रहते है और जिनका निरन्तर इलाज जनपद मेरठ मे ही चल रहा है। मेरी माता जी की गर्दन मे हड्डी मे रिक्त स्थान **(गैप)** है तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याओ से भी पीड़ित हैं तथा मेरी माता जी यात्रा भी नही कर सकती है। माता–पिता के अत्यंत वृद्ध होने एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओ के बढ़ने के कारण उनको नियमिति देखभाल व चिकित्सीय इलाज की आवश्यकता है। मेरे परिवार मे मेरे एवं मेरी पत्नी के अलावा मेरी माता–पिता की नियमित देखभाल व समुचित इलाज कराने वाला अन्य कोई नही है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थितियो पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मेरा स्थानांतरण मेरी पत्नी अलका भारती के साथ मेरठ जनपद के आस पास आवेदनपत्र मे दिए गए विकल्पो (जिलो) में से किसी जनपद मे करने की कृपा करें।

ससम्मान।

दिनॉक : 18.11.2019

भवदीय
(सीताराम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
त्वरित न्यायालय (महिला संरक्षण)
पीलीभीत।

संलग्नक–
1.स्पाईन एक्सरे रिपोर्टस
2.माता जी का यात्रा करने की स्थिति मे न होने संबंधी प्रमाणपत्र
3.चिकित्सीय परामर्श के पर्चे